

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता

(कार्मिक अनुभाग-2)

सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या: ४८५९ प्र०अ० / सिं०वि / कार्मिक-२ / ई-६ / स्था० दिनांक २० अप्रैल 2018

विषय:- स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत रिक्त पदों एवं उसके सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु समूह "ग" के कार्मिकों की सूची।

मुख्य अभियन्ता (स्तर- I) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

मुख्य अभियन्ता (योग्यत्रिक) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।


मुख्य अभियन्ता (स्तर- II) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून / हरिद्वार / श्रीनगर / अल्मोड़ा।

मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की।

मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, प्रदेशीय अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, रुड़की।

सूचनीय है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्रस्तर-7 एवं 12 के अधीन समूह "ग" के विभिन्न रिक्त पदों एवं सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कार्मिकों की सूची सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड की वैबसाइट ([uttrakhand irrigation. com](http://uttrakhandirrigation.com)) पर अपलोड की जा चुकी है।

अतः इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ समूह "ग" के कार्मिकों को तत्काल अवगत करा दे कि अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित समूह "ग" के कार्मिकों द्वारा अपना प्रत्यावेदन स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत रिक्त पदों के सापेक्ष 10 इच्छित स्थानों का विकल्प सीधे इस कार्यालय को उपलब्ध करा सकें, ताकि अधिनियम-2017 में उल्लिखित समय सारणी के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सके। वैबसाइट पर सूची प्रदर्शित होने के पश्चात् ही स्थानान्तरण हेतु पात्र समूह "ग" के कार्मिक द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदनों पर ही विचार किया जायेगा। पूर्व में प्रेषित प्रत्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।


(मोहन चन्द्र पाण्डेय)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक-2)

कृष्ण प्रमुख अभियन्ता

२०/०४/१८